भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 642577

दिनांक 01-04-2017

अनुबन्ध पत्र

श्री अशोक कुमार प्रोपराइटर अशोक इण्टरप्राइजेज निवासी ग्राम व पोस्ट महुअरिया, दुद्धी, सोनभद्र द्वितीय
वाहन संख्या–UP64AT-0703

..............प्रथम पक्ष।

अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र बभनी, सोनभद्र। प्रथम द्वितीय-पक्ष।

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच सर्पोटिव सुपरविजन प्रयोग हेतु किराये पर चार पहिया वाहन लेने का अनुबन्ध किया जा रहा है। इसमें अनुबन्ध का विवरण निम्नलिखित है।

दफा–1. यह कि वाहन सर्पोटिव सुपरविजन कार्यक्रम के भ्रमण हेतु उपयोग में लाया जायेगा।

दफा–2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 9:00 से उपलब्ध कराया जायेगा।

दफा–3. यह कि सर्पोटिव सुपरविजन मानक के आधार पर चार पहिया वाहन 12 घन्टे अधिकतम 29,900/रू0 प्रतिमाह की दर से भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा। जिसमे ईधन, मोबिल, गाड़ी मरम्मत एंव ड्राइवर का समस्त खर्च सम्मिलित है। औसत 80 किमी0 प्रति दिन तथा महिने में 2000 किमी0 वाहन चलेगी।

दफा–4. यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक एक वर्ष हेतु प्रभावी रहेगा।

दफा–5. यह कि प्रथम पक्ष का वाहन के ईंधन ,मोबिल, गाड़ी मरम्मत एंव ड्राइवर सहित खर्च का कोई उत्तरदायित्व नही रहेगा।

दफा–6. यह कि अनुबन्ध प्रथम पक्ष अथवा द्वितिय पक्ष द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

दफा–7. यह कि द्वितिय पक्ष द्वारा वाहन समस्त अभिलेखों यथा टैक्स परमिट, इंश्योरेंस वाहन फिटनेश को पूर्ण एंव अधुनान्त रखना होगा तथा नियमानुसार समस्त टैक्स स्वय जमा करना होगा।

प्रथम
ह0 द्वितीय पक्ष

द्वितीय
ह0 प्रथम पक्ष

Ashok Kumar

गवाह 1.

2.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DH 522442

अनुबन्ध–पत्र

प्रथम पक्ष– **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी– प्रा0स्वा0केन्द्र– चतरा सोनभद्र।**
द्वितीय पक्ष– **न्यू रवि ट्रैवेल्स 258/114 टैगोर टाऊन इलाहाबाद्र।**

जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में आयोजित निविदा दिनांक– 19.04.2017 में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय के क्रम में आपकी निविदा स्वीकृत किये जाने के कारण प्रथम पक्ष द्वारा अनुश्रवण एवं मुल्यांकन के संचालन के सम्बन्ध में मेसर्स– **न्यू रवि ट्रैवेल्स 258/114 टैगोर टाऊन इलाहाबाद्र।** की आर0बी0एस0के कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन संख्या– यू0पी0 70सी0टीव 9242 एवं यू0पी0 70 सी0टी0 6151 एवं सर्पोटिन सुपरविजन हेतु वाहन संख्या.यू0पी070सी0टी0 7292 की दिनांक– 01.04.2017 से एवं दिनाक– 31.03.2018 तक अनुबन्ध की जाती है।

प्रथम पक्ष प्रभारी चिकित्सा अधिकारी– प्रा0स्वा0केन्द्र– चतरा सोनभद के द्वारा अनुमोदित आर0बी0एस0के0 टीम के पूर्व निर्धारत भ्रमण हेतु एवं ब्लाक स्तरीय सर्पोटिन सुपरविजन हेतु 1वाहन उपलब्ध करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन कार्यादेशानुसा निर्धारित दर रू0– 30000/– प्रतिमाह पर उपलब्ध करायेगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए।

1– वाहन टैक्सी परमिट के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

2– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

3– दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार कि क्षति एवं उसकी पूर्ति का समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्शोरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– वाहन के संचालन एवं रख– रखाव सम्बन्धित समस्त व्यय तथा वर्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

6– वाहन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू हालत में रखते एवं वाहन की साफ–सफाई आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष का होगा।

7– द्वितीय पक्ष वाहन चालक को सम्पर्क करने हेतु एक मोबाईल उपलब्ध करायेगा।

8– वाहन मुख्यालय पर प्रातः 10:00 बजे द्वितीय पक्ष उपलब्ध करायेगा।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष रू0 30000.00 (रूपया तीस हजार मात्र) की धनराशि (समस्त कर सहित) के दर से भुगतान के लिये द्वितीय पक्ष निर्धारित प्रारूप पर लागबुक की छायाप्रति व प्रमाणित के साथ प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

10— देयक प्रपत्र अग्रिम माह की 05 तारीक तक प्रस्तुत करने पर 10 दिवस के अन्दर बजट रहने पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11— वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। 24 घंटे में सुधार एवं वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

12— अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने वाली टीम को वाहन से किसी प्रकार नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा।

13— द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओ को समय– समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

14— अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद सोनभद्र के न्यायालय में होगा। दोनो पक्ष को मान्य होगा।

15— द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सेवा सन्तोष जनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है।स्पष्टीकरण का जवाब संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 30 दिन की सूचना देकर समाप्त करने का अधिकार होगा।

16— वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्ति नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।

17— वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर

गायत्री

द्वितीय पक्ष
नाम–मेसर्स– न्यू रवि ट्रैवेल्स
पता–258 / **114टैगोरटाऊनइलाहाबाद्र।**

हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष
प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रा0स्वा0केन्द्र–चतरा
सोनभद्र।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
प्रा० स्वा० के० चतरा
सोनभद्र

गवाह:

1–.........................।
2–.........................।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BM 892137

वाहन अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र– **प्रथम पक्ष**

मेसर्स अशोक इन्टरप्राइजेज पता– महुअरिया दुद्धी जनपद सोनभद्र, बुलेरो संख्या–यू0पी0 65 डी0टी0 9851, – **द्वितीय पक्ष**

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए आज दिनांक 01 सितम्बर 2017 को निम्नवत् शर्तो के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है–

दफा 1– यह कि वाहन एक माह में दो हजार किलोमीटर तक चलेगी, वाहन का पी0ओ0एल0, मेन्टीनेंस, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

दफा 2– अनुबन्धित वाहन सामान्यतया सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु मय पी0ओ0एल0 व चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसर में ही खड़ी होगी ताकि कार्यालय आवश्यकतानुसार सामान्य अवधि के पूर्व अथवा पश्चात या अवकाश के दिनों में भी उपयोग किया जा सके जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।

दफा 3– वाहन के ब्रेकडाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपल्धता की स्थिति में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र ।

Ashok Kumar
द्वितीय पक्ष
मेसर्स अशोक इन्टरप्राइजेज ,सोनभद्र।

ACMO (RCH)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 892138

दफा 4– द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में रू0 29900.00 (उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) समस्त प्रभावी करों सहित भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जायेगा।

दफा 5– यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

दफा 6– यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र ।

द्वितीय पक्ष
मेसर्स अशोक इन्टरप्राइजेज ,सोनभद्र।

ACMO (RCH)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

रु.50 Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 895709

वाहन अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र– प्रथम पक्ष

मेसर्स रवि ट्रेवलर्स पता– टैगोर टाउन जनपद इलाहाबाद, स्कार्पियो संख्या–यू0पी0 70 सी0टी0 7292, – द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए आज दिनांक 01 सितम्बर 2017 को निम्नवत् शर्तो के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है–

दफा 1– यह कि वाहन एक माह में दो हजार किलोमीटर तक चलेगी, वाहन का पी0ओ0एल0, मेन्टीनेंस, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

दफा 2– अनुबन्धित वाहन सामान्यतया सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु मय पी0ओ0एल0 व चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसर में ही खड़ी होगी ताकि कार्यालय आवश्यकतानुसार सामान्य अवधि के पूर्व अथवा पश्चात या अवकाश के दिनों में भी उपयोग किया जा सके जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।

दफा 3– वाहन के ब्रेकडाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

दफा 4– द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में रू0 29900.00 (उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) समस्त प्रभावी करों सहित भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जायेगा।

दफा 5– यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

दफा 6– यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र ।

द्वितीय पक्ष
मेसर्स रवि ट्रेवलर्स, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DC 170694

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष– अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र, दुद्धी सोनभद्र।

द्वितीय पक्ष मे0दूबे टूर एण्ड ट्रेवेल्स
पता– रेलवे स्टेशन रोड वार्ड नं0 2, दुद्धी सोनभद्र
मोबाइल नम्बर– 9956034027

सेवा प्रदाता

मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्रांक मु0चि0अ0/आ0बी0ण्स0के0/सुपरविजन/2016–17/484 दिनांक –23 मार्च 2017 के क्रम में यह अनुबन्ध अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र, दुद्धी द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सपोर्टिव सुपरविजन एंव राजकीय कार्य हेतु आज दिनांक 29.04.2017 को दुद्धी में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 29.04.2017 से 31.03.2018 तक के लिए होगी।

1– द्वितीय पक्ष को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वाहन को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

2– सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन कार्य देशानुसार निर्धारित दर (रु0 29900/सेवा कर सहित) उनतीस हजार नौ सौ पर उपलब्ध करायेंगा।

3– वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

- वाहन टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिए।
- चार पहिया वाहन (6+1) सीटर बन्द बाडी टैक्सी परमीट की अच्छी स्थिति में होनी चाहिय।
- वाहन पॉच वर्ष से अधिक पुरानी नही होनी चाहीए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।

रवि कुमार

- वाहन मे पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगा।

4— वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन एंव फिटनेस परमिट प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5— वाहन के संचालन एवं रख—रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

6— वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ—सफाई व आवश्यक रख—रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरुप सेवा प्रदान न करने कि स्थिति में प्रथम पक्ष को रु 1000 की दर से अर्थ दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा एवं देय धनराशि से काट लिया जायेगा।

7— द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में रोगी कल्याण समिति सामु0स्वा0केन्द्र,दुद्धी के नाम प्रति वाहन रूपया 15000.00 की दर से जमा करेगा। जो किसी भी पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने पर या अनुबन्ध अवधि पुरी हाने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

8— द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सर्म्पक करने हेतु एक मोबाइल फोन उपलब्ध करायेगा जिससे स्वाथ्य इकाई के अधिकारी उसे समय— समय पर कार्य निस्पादन करने हेतु र्निदेश दे सके सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को चिकित्सा अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी का मो0नं0 दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सर्म्पक किया जा सके।

9— वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना अति आवश्यक है।

द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा स्वयं अथवा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करेगा। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।

10— द्वितीय पक्ष द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, दुद्धी पर अस्पताल खुलने के समय(प्रात 8/10 बजे) तक वाहन उपलब्ध कराना होगा। एंव राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत अधीक्षक द्वारा प्राप्त कराये गये रूट मैप के अनुसार स्वास्थ्य इकाइ से छह व्यक्तियों को वाहन में बैठा कर स्कूल/आगनबाडी स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु ले जाना एंव ले आना होगा।एंव सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम हेतु वाहन मय ड्राइवर अस्पताल समय तक अस्पताल परीसर में उपलब्ध कराना होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिमाह में न्युनतम 1000 कि0मी0 अधिकतम 2000 कि0मी0, न्युनतम 25 विजिट तक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सपोर्टिव सुपरविजन हेतु राजकीय कार्य(सुपरविजन/बैठक/कार्यशाला/चिकित्सा शिविर आदि) में प्रयोग किया जा सकता है।अन्य समय में सूचना देने पर किसी भी समय वाहन उपलब्ध कराना होगा।

11— आर0बी0एस0के0 अन्तर्गत वाहन को कम से कम 1000 किमी चलाना होगा तथा सन्दर्भित बच्चो को लेकर जिला चिकत्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा।आर0बी0एस0के0 मीटिंग/वर्कशाप में वाहन का प्रयोग किया जायेगा। यदि वाहन 1000 किमी से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।

रविन्द्र कुमार

क्रमशः 3

12– विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकमो/योजनाओ के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रर्दशन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओ के समय समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का होगा।

14– द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा माह में रु 29900 (उनतीस हजार नौ सौ रु0 मात्र) समस्त कर सहित प्रतिमाह के दर से भुगतान के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा देयक प्रपत्र(लागबुक) प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

15– अनुबन्ध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद न्यायालय सोनभद्र में होगा तथा उसका निर्णय दोनो पक्ष को मान्य होगा।

16– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति मे प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोष जनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा।

17– यह अनुबन्ध 31 मार्च 2018 तक मान्य होगा।

18– द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का विवरण–

1 पंजीकरण संख्या – U.P. 64 T 5346- सपोर्टिव सुपरविजन

2 पंजीकरण संख्या– U.P. 64 AP 1642 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

3 पंजीकरण संख्या– U.P. 64 U 4377 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

दिनांक– 29/4/2017

स्थान– दुद्धी सोनभद्र

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

दिनांक– २९-४-१७

स्थान– दुद्धी सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH **अनुबन्ध–पत्र** BH 643432

प्रथम पक्ष– अधीक्षक– सा0प्र0स्वा0केन्द्र– घोरावल सोनभद्र।
द्वितीय पक्ष– मे0उत्सव ट्रेडर्स वार्ड नं0– 9 नियर रेन्जर ऑफिस घोरावल सोनभद्र।

जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में आयोजित निविदा दिनांक– 06.05.2017 में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के क्रम में आपकी निविदा स्वीकृत किये जाने के कारण प्रथम पक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यकमों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/मुल्यांकन/अनुश्रवण एवं राजकीय कार्यो हेतु द्वितीय पक्ष मेसर्स– **मे0उत्सव ट्रेडर्स वार्ड नं0–9 नियर रेन्जर ऑफिस घोरावल सोनभद्र** से वाहन संख्या– **यू0पी0 64 टी0 8033** के लिए दिनांक–**09.05.2017 से दिनांक–31.03.2018** तक अनुबन्ध किया जाता है।
प्रथम पक्ष प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक स्तरीय अधिकारियो द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु एक चार पहिया टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता प्रथल पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन कार्यदिशानुसार निर्धारित दर रू0– 30000/– (समस्त करो सहित प्रतिमाह की दर से) पर उपलब्ध करायेगा।
(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।
1– वाहन टैक्सी परमिट के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
2– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
3– दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार कि क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्शोरेन्स के तहत मिलेगी।
4– वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।
5– वाहन के संचालन एवं रख– रखाव सम्बन्धित समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क,टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6– वाहन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराना होगा।
7– वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी,

R. C. Maury
ह0 प्रथम पक्षकार
सा0प्र0स्वा0के0 घोरावल

ह0 द्वितीय पक्ष
वबिता देवी

बड़ी टूट–फूट भी 24 घंटे में सुधार कराने या वैकल्पिक टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध के शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा एवं देय धनराशि से काट लिया जायेगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाईल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके।

9– प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी समय सूचना दिये जाने पर द्वितीय पक्ष को वाहन उपलब्ध कराना होगा।

10– वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।

(ग) सपोर्टिव सुपरविजन वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष/ब्लाक स्तरीय अधिकारियो द्वारा माह में अधिकतम 2000 कि0मी0 (दो हजार कि0मी0) तक राष्ट्रीय कार्यक्रमों/राजकीय कार्यो के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ मुल्यांकन/अनुश्रवण/बैठक/कार्यशाला इत्यादि हेतु किया जायेगा।

(घ) द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा रू0 30000.00 (रूपया तीस हजार मात्र) की धनराशि (समस्त करो सहित प्रति माह की दर से) का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लागबुक की प्रमाणित छायाप्रति तथा देयक प्रपत्र अग्रिम माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर अगले 10 दिवस के अन्दर बजट रहने पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड0) ब्लाक स्तरीय अधिकरियो को वाहन से किसी प्रकार नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा।

(च) द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओ को समय– समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

(छ) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सेवा सन्तोष जनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है, स्पष्टीकरण का जवाब संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने व धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित होगा।

(ज) वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्ति नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।

वीरा देवी

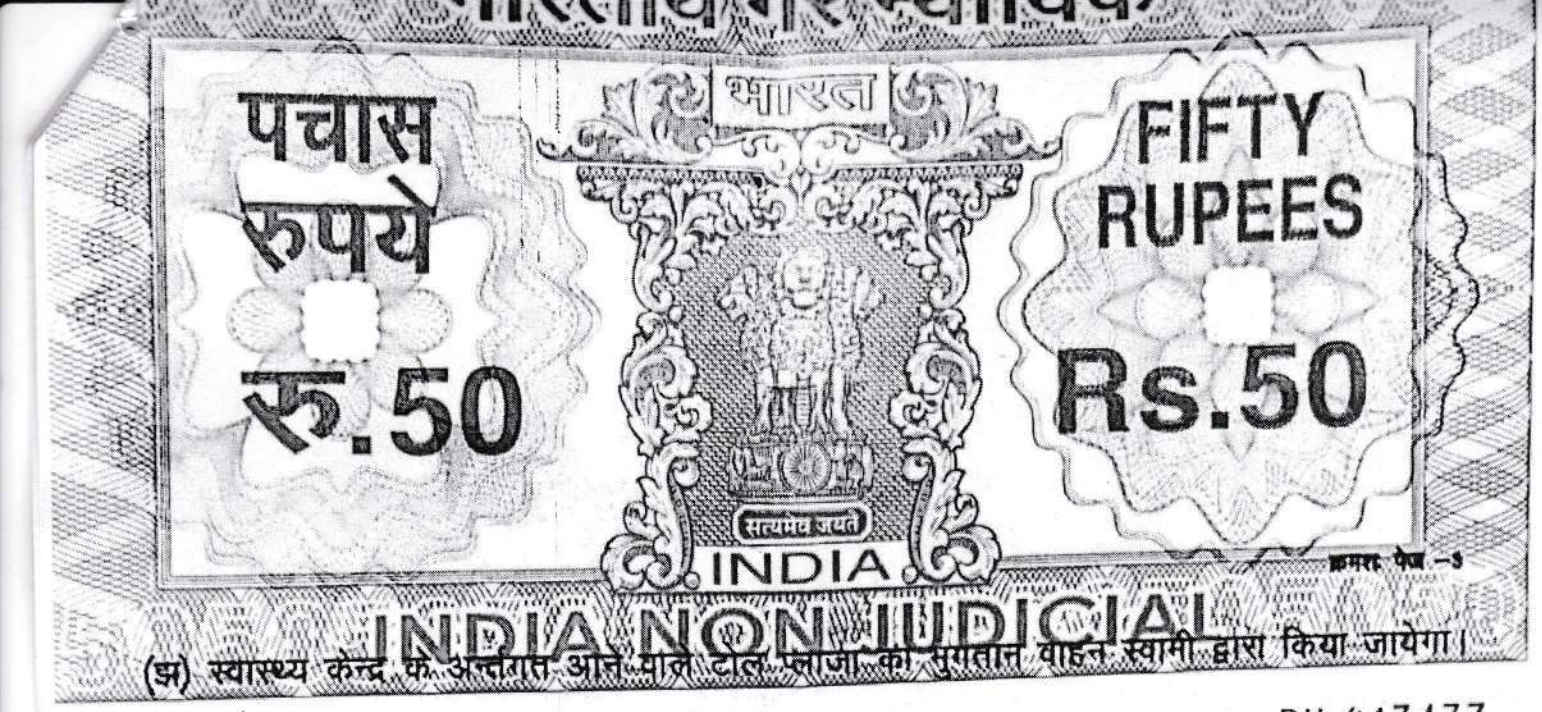

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रू.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

क्रमशः पेज – 3

INDIA NON JUDICIAL

(झ) स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले टोल प्लाजा का भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DH 647433

(ञ) द्वितीय पक्ष धरोहर धनराशि के रूप में रोगी कल्याण समिति प्रा0स्वा0केन्द्र ककराही के नाम रू0 15000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी पक्ष के द्वारा 30 दिन की नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करना होगा।

(ट) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के कियान्वयन/ प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री/साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

(ठ) अनुबन्ध की अवधि विशेष परिस्थितियो में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बढ़ाया जा सकता है।

(ड) अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद सोनभद्र के न्यायालय में होगा, जो दोनो पक्षो को मान्य होगा।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर
कविता देवी
द्वितीय पक्ष
नाम–मेसर्स– उत्सव ट्रेडर्स
पता–वार्ड नं0– 9 नियर रेन्जर ऑफिस
घोरावल सोनभद्र

हस्ताक्षर
R. cmy
प्रथम पक्ष
अधीक्षक
सामु0स्वा0केन्द्र घोरावल
सोनभद्र।

गवाहः

1–.............................।

2–......... हम प्रथम पक्ष

हम द्वितीय पक्ष
कविता देवी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 496574

अनुबन्ध–पत्र

प्रथम पक्ष– प्रभारी चिकित्सा अधिकारी– प्रा0स्वा0केन्द्र– ककराही सोनभद्र।
द्वितीय पक्ष– रवि ट्रैवेल्स 258/114 टैगोर टाऊन इलाहाबाद।

जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में आयोजित निविदा दिनांक– 27.04.2017 में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के क्रम में आपकी निविदा स्वीकृत किये जाने के कारण प्रथम पक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/मुल्यांकन/अनुश्रवण एवं राजकीय कार्यो हेतु द्वितीय पक्ष मेसर्स– **रवि ट्रैवेल्स 258/114 टैगोर टाऊन इलाहाबाद** से वाहन संख्या– **यू0पी0 64 ए0टी0 0389** के लिए दिनांक–**01.05.2017 से दिनांक–31.03.2018** तक अनुबन्ध किया जाता है।

प्रथम पक्ष प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक स्तरीय अधिकारियो द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु एक चार पहिया टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन कार्यादेशानुसार निर्धारित दर रू0– 30000/– (समस्त करो सहित प्रतिमाह की दर से) पर उपलब्ध करायेगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

1– वाहन टैक्सी परमिट के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

2– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

3– दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार कि क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्शोरेन्स के तहत मिलेगी।

4– वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5– वाहन के संचालन एवं रख– रखाव सम्बन्धित समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क,टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

6– वाहन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराना होगा।

7– वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी,

प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रा0स्वा0केन्द्र-सोनभद्र

[illegible]

दायित्व द्वितीय [illegible] द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध [illegible] के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 [illegible]00.00 प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा एवं देय धनराशि से काट लिया जायेगा।

8– द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाईल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके।

9– प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी समय सूचना दिये जाने पर द्वितीय पक्ष को वाहन उपलब्ध कराना होगा।

10– वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।

(ग) सपोर्टिव सुपरविजन वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष/ब्लाक स्तरीय अधिकारियो द्वारा माह में अधिकतम 2000 कि0मी0 (दो हजार कि0मी0) तक राष्ट्रीय कार्यक्रमों/राजकीय कार्यो के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ मुल्यांकन/अनुश्रवण/बैठक/कार्यशाला इत्यादि हेतु किया जायेगा।

(घ) द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा रू0 30000.00 (रूपया तीस हजार मात्र) की धनराशि (समस्त करो सहित प्रति माह की दर से) का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लागबुक की प्रमाणित छायाप्रति तथा देयक प्रपत्र अग्रिम माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर अगले 10 दिवस के अन्दर बजट रहने पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड0) ब्लाक स्तरीय अधिकरियो को वाहन से किसी प्रकार नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा।

(च) द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओ को समय– समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

(छ) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सेवा सन्तोष जनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है, स्पष्टीकरण का जवाब संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने व धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित होगा।

(ज) वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्ति नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।

(झ) स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले टोल प्लाजा का भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा।

(ञ) द्वितीय पक्ष धरोहर धनराशि के रूप में रोगी कल्याण समिति प्रा0स्वा0केन्द्र ककराही के नाम रु 15000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी पक्ष के द्वारा 30 दिन की नोटिस देक अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वाप करना होगा।

(ट) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के कियान्वयन/ प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री/साहित्य आ का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

(ठ) अनुबन्ध की अवधि विशेष परिस्थितियो में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बढाया जा सकता है।

(ड) अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद सोनभद्र के न्यायालय में होगा, जो दोनो पक्षो को मान्य होगा।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष
नाम–मेसर्स– रवि ट्रैवेल्स
पता–258 / 114टैगोरटाऊनइलाहाबाद्र।

हस्ताक्षर,

प्रथम पक्ष
प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रा0स्वा0केन्द्र–ककराही
सोनभद्र।

गवाहः
1–.....................।M.O.।
2–.....................।BPM।

भारतीय गैर न्या[illegible]क

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 095494

19 JUL 2016

वाहन अनुबन्ध पत्र

अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र, म्योरपुर, सोनभद्र–

प्रथम पक्ष

मेसर्स अशोक इण्टरप्राइजेज पताः महुअरीया दुद्धी सोनभद्र, टैक्सी परमिट बुलेरो संख्याः यू0पी0 64 वाई0 9605

द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरावत्त वाहन अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र, म्योरपुर, सोनभद्र प्रयोग हेतु किराये पर लेने हेतु आज दिनांक 01.04.2017 को निम्नवत सर्तो के साथ अनुबन्ध किया जा रहा है–

दफा 1– यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक 12 माह हेतु प्रभावित रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर नोटीस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

दफा 2– यह कि वाहन एक माह में 2000 किलोमीटर तक चलेगी वाहन का पी0ओ0एल0 मेन्टेनेंस, चालक का पारश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा किया जाएगा।

दफा 3– अनुबन्ध वाहन कार्यालय अधिकारियो के उपयोग हेतु मय पी0ओ0एल0 व चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसंर में प्रातः 09.00 बजे उपलब्ध होगी ताकि कार्यालय .ावश्यकतानुसार सामान्य अवधि तथा अवकाश के दिनो में भी उपयोग किया जा सके जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नही होगा

दफा 4– वाहन के ब्रेक डाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणो से अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

दफा 5– यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में 29900.00 (उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) समस्त प्रभावी करों सहित भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से कर दिया जाएगा।

दफा 6– यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु एक माह का सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

M/s Ashok Enterprises
Mahuaria, Dudhi
S[illegible]dra (U.P.)

प्रथम पक्ष
अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र, म्योरपुर, सोनभद्र।

द्वितीय पक्ष
मेसर्स अशोक इण्टरप्राइजेज।

M/s Ashok Enterprises

पचास रुपये रु. 50 FIFTY RUPEES Rs.50 INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BH 692087

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष– **अधीक्षक – सामु0स्वा0केन्द्र– नगवॉ, सोनभद्र।**
द्वितीय पक्ष– **मेसर्स शताक्षी ट्रैवेल्स सोनभद्र।**

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश के क्रम में निविदा दिनांक– 17.04.2017 में सर्वसम्मति से निर्गम के क्रम में द्वितीय पक्ष का प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव द्वारा अनुश्रवण एवं मुल्यांकन के संचालन के संबध में **मेसर्स– शताक्षी ट्रैवेल्स**, सोनभद्र की **वाहन सं0–यू0पी0 62 ए0टी0 5344** की आज दिनांक– 01.05.2017 से एवं अगली निविदा होने तक अथवा दिनांक– 31.03.2018. तक अनुबंध की जाती है।

द्वितीय पक्ष जिला सोनभद्र के अनुश्रवण एवं मुल्यांकन करने हेतु वाहन के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता प्रंथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन कार्यादेशानुसार निर्धारित दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए।

1–वाहन ट्रैक्सी परमिट के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

2–वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

3–दुर्घटना हाने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार कि क्षति एवं उसकी पूर्ति का समस्त जिम्मेदारी

4 वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण– पत्र आदि होना अनिवार्य है।

5 वाहन के संचालन एवं रख– रखाव सम्बन्धित समस्त व्यय तथा वर्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

6 वाहन–24 घंटे चालू हालत में रखते एवं वाहन की साफ– सफाई आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष का होगा।.

7 द्वितीय पक्ष वाहन चालक को सम्पर्क करने हेतु एक मोबाईल उपलब्ध करायेगा।

8 वाहन मुख्यालय पर प्रातः 10:00 बजे द्वितीय पक्ष उपलब्ध करायेगा।

9 द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष रू0– 30000.00 (रू0– तीस हजार मात्र) की धनराशि (समस्त करो सहित) के दर भुगतान के लिये द्वितीय पक्ष निर्धारित प्रारूप पर लागबुक की छायाप्रति को प्रमाणित के साथ प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

10–देयक प्रपत्र अग्रिम माह की 05 तारीक तक प्रस्तुत करने पर 10 दिवस के अन्दर बजट रहने पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11–वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। 24 घंटे में सुधार एवं वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

12–अनुश्रवण एवं मुल्यांकन करने वाली टीम को वाहन से किसी प्रकार नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व पक्ष को होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

13–द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं को समय–समय पर निरीक्षण करने / जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

पचास रुपये
रु 50
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14—अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद सोनभद्र न्यायालय में होगा। दोनो पक्ष को मान्य होगा।

15—द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सेवा सन्तोष जनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथत पक्ष को अधिकार हो कि द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण का जवाब संतोष ज‹ न पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर समाप्त करने का अधिकार होगा।

16—वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैध लाइसेन्स ह अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष का ह प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चा‹ प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्ति नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दा‹ होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही क ऐसा पाये जाने पर अनबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।

17—वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीबद्व होना चाहिए, इससे अधिक पुरान हो।

18—वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।

स्थान — सा० स्वा० के० नगवां

दिनांक— 27/04/2017

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष
नाम— मेसर्स— शताक्षी ट्रैवेल्स सोनभद्र	अधीक्षक सा०स्वा०केन्द्र नगवॉ
पता— दीपनगर राबर्ट्सगंज सोनभद्र	

Dist Sonbhadra

Supportive Supervision Vehicle Hiring District level Information 2017-18

SN	Name of District	Name of Agreement Sigining Office	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Sonbhadra	CMO	UP65 DT 9851	1/9/2017	UP 70 CT 7292	1/9/2017	

Supportive Supervision Vehicle Hiring Block wise Information 2017-18

SN	Name of Division	Name of District	Name of Block	Vehicle No	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Mirzapur	Sonbhadra	Babhani	UP 64 AT 0703	1/4/2017	
2	Mirzapur	Sonbhadra	Chatra	UP 70 BJ 0510	1/4/2017	
3	Mirzapur	Sonbhadra	Chopan	UP 64 T 6333	1/4/2017	
4	Mirzapur	Sonbhadra	Duddhi	UP 64 T 5346	1/4/2017	
5	Mirzapur	Sonbhadra	Ghorawal	UP 64 T 8033	1/4/2017	
6	Mirzapur	Sonbhadra	Myourpur	UP 64 Y 9605	1/4/2017	
7	Mirzapur	Sonbhadra	Nagwa	UP 62 AT 5344	1/4/2017	
8	Mirzapur	Sonbhadra	Robertsganj	UP 64 AT 0389	1/4/2017	

Chief Medical Officer
Sonebhadra